रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 1985/माघ 3, 1906
No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 1985/MAGHA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 81-आई टी सी (पी एन)/84-85

नई दिल्ली, 23 जनवरी 1985

विषय :— 1982-83 और बाद के वर्षों के लिए फ्रांसीसी ऋणों के लिए लाइसेंसिंग शर्तें ।

मिसिल सं० आई पी सी/23 (10)/84-85 .— 1982-83 और बाद के वर्षों के लिए फ्रान्सिसी ऋणों के अन्तर्गत आयातों को नियंत्रित करने की शर्तें एवं निबन्धनों को, जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है ।

पी०सी० जैन मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात

परिशिष्ट

1982-83 और बाद के वर्षों के लिए फ्रान्सिसी ऋणों के अधीन आयातों के लिए लाईसेंन्सिंग शर्तें ।

ये क्रेडिट विकास परियोजनाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए फ्रान्सिसी माल के आयातों और सेवाओं हेतु वित्त-पोषण के लिए फ्रान्सिसी प्राधिकारियों द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाते हैं । भारत सरकार द्वारा ऋण की इन निधियों का उपयोग आयात नीति के अनुसार भारतीय आयातकों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा कर किया जाता है । फ्रान्सिसी ऋणों के अधीन संभरकों को तत्काल भुगतानों सहित भुगतान ऋण निधियों से सीधे ही किए जाते हैं और उनसे सम्बन्धित धनराशि का समतुल्य रुपया आयातकों को भारत सरकार के लेखे में जमा कराना होता है ।

2 यह लाइसेन्स शर्तें भारत सरकार द्वारा फ्रान्सिसी क्रेडिट के लिए समझौतों के अनुसार पात्रता की कसौटी और क्रियाविधिक अपेक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए आयातकों के मार्गदर्शन और उनके द्वारा अनुपालन के लिए निर्धारित की गई है ।

यह लाइसेन्सिंग शर्तें तुरन्त लागू होंगी और आगे आदेश जारी होने तक लागू रहेंगी ।

1. फ्रान्सिसी क्रेडिटों से आबंटन

1. 1—फ्रान्सिसी ऋण निधियों के लिए विदेशी मुद्रा का आबन्टन/रिलीज आर्थिक कार्य विभाग (ई ई सी डिवीजन) जिसे इस के बाद "डी ई ए" कहा गया है, द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राप्त संदर्भों के आधार पर या पूंजीगत माल/अधिकृत समितियों द्वारा किए गए आयात प्रस्तावों के अनुमोदनों के समय किया जाता है ।

1.2. यदि डी इ ए द्वारा भिन्न रूप से स्वीकृति न दे दी जाए तो पात्र मामलों मे आयातक को चार महीनों की अवधि के भीतर आयात लाइसेन्स प्राप्त करके आबंटनों/रिलीजों का प्रभावी रूप से उपयोग करना होगा । यदि इस अवधि के भीतर डी ई ए द्वारा—(क) समय सीमा की वृद्धि के लिए कारणों सहित आवेदन, या (ख) प्राप्त आयात लाइसेन्स की एक प्रति (दो प्रतियों में), या (ग) खुले सामान्य लाइसेन्स की मदों के मामले में यह सूचना कि फ्रान्सिसी सम्भरक को आदेश दे दिया गया है, की प्राप्ति न हो तो डी ई ए आबंटन/रिलीज को निरस्त कर देगा ।

2. आयात लाइसेन्स

2.1.—आयात लाइसेन्स मुख्य नियन्त्रक, आयात- निर्यात (सी सी आई एन्ड ई) द्वारा आयात नीति के अनुसार जारी किया जाएगा । आयात लाइसेन्स में :—

(क) ठेका करने के लिए चार मास की वैधता अवधि होगी जो आगे चार मास तक अवधि के लिए उचित कारण देते हुए आवेदन करने पर बढ़ाई जा सकती है । जारी होने की अवधि से आठ मास से अधिक वृद्धि के लिए कोई भी आवेदन डी ई ए को भेजना होगा जिस पर डी ई ए द्वारा विशेष रूप से पात्र मामलों में ही विचार किया जाएगा ।

(ख) आयात लाइसेन्स उस के जारी होने की तिथि को मुद्रा विनिमय की प्रचलित सीमाशुल्क दर, जो लाइसेन्स में निर्दिष्ट की जाएगी, पर लागत-बीमा-भाड़ा आधार पर गिने गये रुपये को प्रदर्शित करेगा ।

(ग) आयात लाइसेन्स में पोतलदान पूर्ण करने के लिए पूंजीगत माल के मामले में 24 मास और अन्य मामलों में 12 मास की वैधता अवधि दी गई होगी ।

(घ) आयात लाइसेन्स में "फ्रान्सिसी क्रेडिट" एक प्रत्यय होगा ।

(ङ) आयात लाइसेन्स में उसका मूल्य और भारतीय एजेन्ट को चुकाया जाने वाला कमीशन, यदि कोई होगा, शामिल होंगे ।

2.2—आयात लाइसेन्स जारी होने के तुरन्त बाद आयातक को लाइसेन्स की दो फोटो प्रतियां और फ्रान्सिसी संभरक के साथ ठेके की प्रत्याशित तिथि की सूचना डी ई ए को भेजनी चाहिए ।

3. फ्रान्सिसी सम्भरक के साथ ठेका

3.1—आयातक को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि फ्रान्सिसी संभरक के साथ ठेका शीघ्र ही ऊपर 2.1(क) मे निर्दिष्ट वैधता अवधि के भीतर निर्णीत हो जाए ।

3.2—जब तक डी ई ए द्वारा अग्रिम रूप से अन्य प्रकार से स्वीकृति न दे दी जाए, एक आयात लाइसेन्स के मद्धे केवल एक ही ठेका निर्णीत किया जाएगा । ठेके का मूल्य भी डी ई ए द्वारा आबंटित या रिलीज किए गए फ्रान्सिसी ऋण के मूल्य के बराबर होना चाहिए । अन्य संसाधनों से प्राप्त जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का आंशिक वित्तपोषण विशेष रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए ।

3.3—प्रत्येक ठेका निरपवाद रूप से पूर्ण स्वतःपूर्ण दस्तावेज, आयातक और फ्रान्सिसी संभरक द्वारा अनुमोदित और स्वीकृति सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए । ऐसा ठेका जिसमें पार्टियों के पत्राचारों की श्रृंखला हो, या जो फ्रान्सिसी संभरक की ओर से भारतीय एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित और स्वीकृत हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

3.4—ठेके में किया जाने वाला कोई संशोधन या आशोधन भी आयातक और फ्रान्सिसी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उसकी सूचना मूल ठेके के समान ही दस प्रतियों में आयातक द्वारा तुरन्त डी ई ए को भेजी जानी चाहिए । यदि आयात लाइसेन्स में कोई आवश्यक धन हो तो उसको भी आयातक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए ।

4. ठेके की शर्तें

आयातक को निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के सही अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए :—

1. मुद्रा (करेन्सी):—चूंकि फ्रान्सिसी ऋण फ्रांसिसी फ्रेन्कों में है इसलिए ठेका फ्रान्सिसी फ्रेन्कों में अभिहित होना चाहिए और फ्रान्सिसी संभरकों को भुगतानों की व्यवस्था फ्रान्सिसी मुद्रा में होनी चाहिए । इस प्रावधान से कोई छूट ठेके के निर्णय से पहले ही डी ई ए से अवश्य अनुमोदित करा लेनी चाहिए ।

2. मूल्य :— ठेके में जहाज पर्यन्त निःशुल्क, लागत और भाड़ा या लागत-बीमा-भाड़ा आधार पर निश्चित मूल्य निर्दिष्ट होना चाहिए, इसलिए मूल्यों मे वृद्धि को फ्रान्सिसी ऋणों के अन्तर्गत रोका जाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए । जब तक समुद्री बीमे का भारतीय बीमा कम्पनी से ठेका न कर लिया जाए तब तक ठेका सामान्यतः लागत-बीमा-भाड़ा आधार पर होना चाहिए ।

ठेके के प्रत्येक मामले में जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमत, भाड़े के खर्चे और बीमे की लागत और यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट का कमीशन अलग-अलग और विशेष रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए; ऐसा कमीशन एजेन्ट को आयातक द्वारा केवल भारतीय रुपये में देय होगा और यह ठेके मे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए ।

3. न्यूनतम कीमत :— फ्रान्सिसी ऋणो के अधीन फ्रान्सिसी संभरकों के साथ ठेकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कीमत सीमाएं (जहाज पर्यन्त निशुल्क) निर्धारित है :—

	न्यूनतम कीमत (जहाज पर्यन्त निशुल्क)
(क) भारी उपस्कर या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ठेके	5,000,000 फ्रा० फ्रेन्क
(ख) हल्के उपस्कर वाली परियोजनाओं के लिए ठेके	1,000,000 फ्रा० फ्रेन्क
(ग) अन्य आयातों के लिए ठेके	80,000 फ्रा० फ्रेन्क

4. माल का उद्गम स्थान

4.1—फ्रान्सिसी ऋण केवल उसी माल और सेवाओं के लिए उपलब्ध है जिनका उद्गम फ्रान्स में हुआ हो, लेकिन इन माल और सेवाओं में वह माल और सेवाएं भी शामिल की जा सकती है जिनका मूल स्थान अन्य देश से हो परन्तु फ्रान्सिसी संभरक द्वारा उनके लिए उप-ठेका किया गया हो और किए जाने वाले वितरणों में शामिल किए गए हों और वे संभरकों के उत्तरदायित्व में हों और फ्रान्सिसी संभरकों द्वारा निर्धारित सीमाओं और शर्तों के समरूप हों। इस उद्देश्य के लिए माल के मूल स्थान के विषय में एक निर्धारण ठेके में समाविष्ट होना चाहिए; फ्रान्स से भिन्न किसी अन्तर्वस्तु के मामले में उसके वित्तपोषण के लिए फ्रान्सिसी प्राधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य देते हुए एक पक्ष संभरक से अवश्य प्राप्त करना चाहिए और यदि फ्रान्स से भिन्न ऐसी अन्तर्वस्तु फ्रान्स ऋण के अन्तर्गत शामिल करनी है तो उसे ठेके में शामिल करना चाहिए ।

4.2—यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब तक विशेष मामलों में पुराने उपस्कर के लिए फ्रान्सिसी प्राधिकारियों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं होता ऐसे उपस्कर इस ऋण के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिए सामान्यतः पात्र नहीं होंगे ।

4.3—फ्रान्सिसी ऋण की निधियों में परिवहन (विदेशी) लागत केवल तब शामिल होगी जबकि पोतलदान फ्रान्सिसी पोत के मालिक द्वारा जारी किए गए और फ्रान्सिसी बोर्ड ऑफ मर्चेन्ट मेरिन द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित लदान बिल के अधीन न किया गया हो इसी प्रकार से ऋण के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए बीमे का ठेका फ्रान्सिसी बीमा कम्पनियों के साथ करना चाहिए । इन दोनों मामलों में, फ्रान्सिसी ऋण के उपयोग को या अन्यथा रूप से ठेके को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि फ्रान्सिसी प्राधिकारियों को ठेका अधिसूचित करते समय और उनके अनुमोदन के समय उसके लिए ऋण की निधियां सुरक्षित रखी जा सकें। इस सम्बन्ध में ऊपर पैरा 4.2—भी देखा जाए ।

4.4—फ्रान्सिसी फ्रेन्कों से भिन्न मुद्राओं मे लागत-बीमा भाड़ा ठेकों के मामले में (देखिये ऊपर पैरा 4.1) यदि भाड़े और बीमे के खर्चे फ्रान्सिसी ऋण के अन्तर्गत शामिल न होते हों (देखिये ऊपर पैरा 4.3) तो उनका भुगतान भारत के निजी संसाधनों से देय होगा । यह भुगतान, भुगतान की तिथि से बैंकिंग दो दिन पहले बोर्स डि पेरिस में मुद्रा विनिमय की सरकारी अन्तर-बैंक प्रचलित दर लागू करके फ्रान्सिसी फ्रेन्क्स में किया जाएगा । यह ठेके में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध होना चाहिए ।

5. पोतलदान का पत्तन :—यदि आवश्यक हो तो फ्रान्सिसी पत्तनों से भिन्न माल का लदान किया जा सकता है । लेकिन इस प्रकार के मामलों की आशा कम ही है ।

6. भुगतान की शर्तें

6.1—जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत के कम से कम 10 प्रतिशत की तत्काल अदायगी आदेश देते ही संभरक को करनी होती है, और यह व्यवस्था ठेके में उल्लिखित होनी चाहिए । दस प्रतिशत से अधिक की तत्काल अदायगी के लिए ठेके को अन्तिम रूप देने से पहले डी०ई०ए० से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । ऐसी तत्काल अदायगी के लिए संभरक से एक बैंक गारन्टी का सुनिश्चय किया जाए और ठेके में इसका उल्लेख यथोचित रूप से किया जाए ।

6.2—ठेके से सम्बन्धित शेष भुगतानों के लिए भुगतान की शर्तें ठेके के अधीन संभरित किए जाने वाले माल/सेवाओं की विशेष किस्म के लिए यथा-प्रयोज्य सामान्य वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार होनी चाहिए । माल के पोतलदान से पहले यदि कोई अवस्थान भुगतान (स्टेज पेमेन्ट) अधिकृत किए गए हों तो उनकी अनुमति है । ऐसे अवस्थान भुगतान (स्टेज पेमेन्ट) ठेके मे स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिएं और ऐसे अग्रिम भुगतानों के लिए संभरक से उचित समय में उपयुक्त बैंक गारन्टी प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

6.3—कुछ मामलों में संभरक/ठेकेदार के लिए अंतिम किश्त का भुगतान निर्माण करने, चालू करने, निष्पादन, अनन्तिम या अन्तिम स्वीकृति आदि से उचित रूप से सम्बद्ध हो सकता है । लेकिन फ्रान्सिसी ऋण के विनियमों के अधीन सम्भरक/ठेकेदार को सभी भुगतान पोतलदान तक या पोतलदान की तिथि को करने होते हैं । इसलिए ठेके में सभी भुगतान अन्तिम पोतलदान तक पूर्ण करने के लिए व्यवस्था

होनी चाहिए और संभरक ठेकेदार द्वारा भुगतान के उस भाग के लिए उपयुक्त बैंक गारन्टी भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि फ्रान्सिसी ऋण विनियमों के अनुसार परियोजना चालू करने तक निष्पादन परीक्षणों तक रोक लिया जाता ।

7. अन्य प्रावधान :—

ठेके में निम्नलिखित बातें शामिल करने के लिए भी प्रावधान होने चाहिए :—

(क) ठेके का लागू होना अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन होगा कि यह फ्रान्सिसी ऋण के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिए भारतीय और फ्रान्सिसी प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हो ।

(ख) तत्काल अधायगी सहित सभी भुगतान पैरिस के आवासीय बैंक द्वारा फ्रान्सिसी ऋण निधियों में से सीधे ही संभरक को किए जाएंगे । इस उद्देश्य के लिए आवासीय बैंक अनुबन्ध-1 में सूचीबद्ध बैंकों में से चुना जाना है और ठेके में निर्दिष्ट करना है ।

(ग) संभरक द्वारा प्रत्येक भुगतान के लिए जो दस्तावेज आवासीय बैंक को प्रस्तुत करने हों वे ठेके में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाने चाहिए । लेकिन, जिस मामले में अवस्थान भुगतानों के लिए बैंक गारन्टियां प्राप्त करनी हों (देखिए ऊपर पैरा 6.2), वे आयातक द्वारा उचित समय में अलग से प्राप्त की जानी चाहिए और संभरक द्वारा आवासीय बैंक को प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज के रूप में सूचीबद्ध नहीं की जानी चाहिए ।

(घ) ठेके में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि ठेके की दोनों पार्टियां ऐसी सूचना और दस्तावेज भेजेंगी जो भारत सरकार और फ्रान्सिसी प्राधिकारियों के बीच हुए फ्रान्सिसी ऋण समझौते के अन्तर्गत अपेक्षित हों ।

(ङ) औद्योगिक सन्यन्त्र और उपस्कार के लिए ठेके के मामले में ठेके में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि भारतीय आयातक, फ्रान्सिसी संभरक और उसके उप-ठेकेदार या सह-प्रतिनिधि (यदि कोई हो) इस बात से सहमत हैं कि संभरक द्वारा आयातक को देय सभी धनराशियां निश्चित की जाएंगी और आवासीय बैंक को सीधे ही चुका दी जाएंगी । ऐसे हस्तान्तरण के उद्देश्य के लिए डी ई ए या फ्रान्सिसी प्राधिकारियों के आवेदन पर "प्रत्यायोजन पत्र" भेजने होंगे । ऐसे प्रत्यायोजन पत्र की नमूना प्रति अनुबन्ध 2क, 2ख, और 2ग में दी गई हैं ।

5. संविदा अधिसूचना और अनुमोदन

5.1 :—संविदा की अनुमति के तुरन्त बाद आयातक को आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी डिविजन) को निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य भेजने चाहिए :—

(1) भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक दोनों द्वारा तारीख के साथ हस्ताक्षरित और अंग्रेजी भाषा में विधिवत निष्पादित संविदा/या कोई संशोधन (संशोधनों) की दस प्रमाणित प्रतियां;

(2) सम्बद्ध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां;

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले अनुसूचित बैंक से एक बैंक गारन्टी (अनुबंध-3 के अनुसार) । यह बैंक गारन्टी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी है; और

(4) अनुदेश पत्र जारी करने के लिए अनुबंध-4 में निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) ।

5.2 :—उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद, आर्थिक कार्य-विभाग फ्रांस के राजदूतावास, नई दिल्ली के आर्थिक कार्य से सम्बद्ध काउंसलर को संविदा के बारे में अधिसूचित करेगा । संविदा की स्वीकृति की पुष्टि फ्रांस के राजदूतावास द्वारा की जाएगी जिस के पश्चात् संविदा को लागू करने के लिए सम्बद्ध शर्तों को पूरा करते हुए भारतीय और फ्रांसीसी प्राधिकारियों द्वारा संविदा अनुमोदित समझी जाएगी । अनुबंध-1 में सूचीबद्ध बैंकों में से किसी एक को चुन लें तथा प्राधिकृत करें ।

6. संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्थाएं

6.1 अनुमोदित संविदा के अधीन संभरक को देय भुगतान संविदा में यथा विशिष्टिकृत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर संविदा में विशिष्टिकृत आवासीय बैंक द्वारा किए जाएंगे । यदि संविदा में आवासीय बैंक विशिष्टिकृत नहीं किया गया हो तो आर्थिक कार्य विभाग अनुबंध-1 में सूचीबद्ध बैंकों में से एक बैंक का चुनाव कर उसे ऐसे भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करेगा । इस प्रयोजन के लिए सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षक नियंत्रक (सी ए ए एंड ए) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली द्वारा आवासीय बैंक को एक "अनुदेश पत्र" (एल ओ आई) जारी किया जाएगा । इसके साथ ही अनुदेश पत्र (एल ओ आई) की एक प्रति आयातक को तथा उसके द्वारा उल्लिखित भारतीय बैंक को भेजी जाएगी ।

6.2 संविदा के प्रावधानों और अनुदेश पत्र के अधीन यथा-प्राधिकृत संभरक को किए गए प्रत्येक भुगतान के बाद ऐसे भुगतान के लिए संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज और उनके साथ बैंक प्रभारों के ब्यौरों (यदि

कोई हो) और अनुबंध-4 में आयातक के आवेदन पत्र में उल्लिखित भारतीय बैंक के लिए डाक खर्चे आदि के ब्यौरे प्रवासीय बैंक को भेजे जाएंगे ।

6.3. आवासीय बैंक से सूचना की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर ही भारतीय बैंक, बैंक प्रभार एवं केबिल प्रभारों सहित डाक खर्चे भारतीय सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना ही सीधे संबद्ध फ्रांसीसी बैंक को प्रेषित करेगा । इस प्रयोजन के लिए भारतीय बैंक द्वारा भारतीय आयातक से आवश्यक रुपए वसूल किए जाएंगे ।

6.4. बैंक प्रभारों, डाक खर्चों आदि के लिए ऐसे प्रेषण को छोड़कर फ्रांस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस के अन्तर्गत भारत से कोई भी प्रेषण अनुमेय नहीं है ।

7. रुपया निक्षेप

7.1. आवासीय बैंक से दस्तावेजों की प्राप्ति के अधिक से अधिक 10 दिनों के भीतर भारतीय बैंक को बीजक में यथा संकेतित विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के बराबर रुपए और उस पर यथा-मूल्य एक प्रतिशत की दर से आनुषंगिक खर्चे जमा करने चाहिए । इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त राशि पर (अर्थात् समतुल्य रुपए जमा/प्रतिशत यथा मूल्य) भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज भी जो अनुदेश पत्र (एल ओ आई) में विशिष्टिकृत किया जाएगा और जो विदेशी संभरक को भुगतान की तारीख से समतुल्य रुपया जमा करने की तारीख तक के बीच के वास्तविक समय के लिए होगा सरकार को अदा किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए ब्याज की वर्तमान दर प्रथम 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक है और इससे अधिक अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक है । ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रावधान सरकारी विभागों के लिए लागू नहीं होगा ।

7.2. समतुल्य रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 108-आई टी सी (पी एन) 72 दिनांक 21-7-72 सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन/76 दिनांक) 17-1-76 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 15-आई टी सी (पी एन) 72 दिनांक 28-1-72 में दिए गए सूत्र के आधार पर निश्चित की गई मिश्रित दर के हिसाब से की जाएगी या उसे सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है ।

7.3. इस बात का सुनिश्चय करने का दायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयातक को मूल दस्तावेज (ऊपर पैरा 6.2 में उल्लिखित) देने से पहले धनराशि सरकारी लेखे में ठीक राशि जमा कर दी गई है । आयातक को भी इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंक से दस्तावेज लेने से पहले देय धन राशि सरकारी लेखे में उचित रूप से जमा कर दी गई है ।

7.4. इस राशि को या तो भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 में जमा किया जा सकता है, या भारत के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा या इसके उपसंगों से डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत के स्टेट बैंक की तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशिती तथा प्राप्तकर्ता) के नाम में और क्रेडिट के लिए उसे केंद्रीय सरकार के लेखे में जमा किया जा सकता है । यह राशि की सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 में निर्धारित चालान में जमा किया जाना चाहिए । डिमान्ड ड्राफ्ट ट्रेजरी चालान (विधिवत पूर्ण और प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में भारत के स्टेट बैंक, दिल्ली-6 को सीधे ही जमा की जानी चाहिए । लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत धनराशि जमा की जानी है वह "के डिपोजिट्स एंड एडवांस (बी) डिपोजिट नॉट बेयरिंग इन्ट्रेस्ट 843 सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज फ्राम एब्रोड अन्डर फ्रेन्च क्रेडिट" है ।

7.5. ट्रेजरी चालान की एक प्रति और एक प्रपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि जमा रुपया विधिवत भारत के रिजर्व बैंक या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली-6 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और इसके साथ ही डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना, संबद्ध बैंक द्वारा सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (सी ए ए एंड ए) को उनके द्वारा जारी किए गए निदेश पत्र का उल्लेख करते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजनी चाहिए । सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 में निर्धारित ट्रेजरी चालान के फार्मेट के अन्तर्गत टिप्पणी-1 के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट को दर्ज करने की तारीख ही सरकार के खाते में समतुल्य रुपए जमा कराने की तारीख समझी जाएगी । आयातकों से सही अवधि के लिए ब्याज की वसूली का सुनिश्चिय करने के लिए यह आवश्यक है कि डिमान्ड ड्राफ्ट को जिस तारीख को दर्ज किया जाता है उसकी सूचना प्रत्येक मामले में निरपवाद रूप से सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना अनिवार्य है ।

7.6. आयातक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह आवश्यक राशि केवल प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से ही जमा करें । भारतीय बैंक भी सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन) 68, दिनांक 30-6-68 में यथा-अपेक्षित आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करेगा और आवश्यक "एस" प्रपत्र, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बंबई को भेजेगा । यदि रुपया जमा कराने में 180 दिनों से अधिक देर हो जाती है तो आर्थिक-कार्य विभाग को आगामी अनुदेश-पत्र जारी करने के इन्कार करने को और/या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को यह निदेश जारी करने का अधिकार होगा कि वह आयातक को नए आयात लाइसेंस जारी करना बन्द कर दे ।

7.7. यदि रुपये जमा कराने में 180 दिन से अधिक देरी होती है तो आर्थिक कार्य विभाग को आगे कार्रवाई जारी करने अथवा संभरक को किसी नए लाइसेंस को जारी न करने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को अनुदेश देने का अधिकार होगा ।

7.8. पोत-लदान पूर्ण होते ही या संभरक को अन्तिम भुगतान होते ही परन्तु अन्तिम पातलदान पारित होने के एक महीने से अधिक नहीं या संभरक को अन्तिम भुगतान होने के बाद आयातक के बैंक द्वारा अनुबंध-5 मे दिए गए प्रपत्र मे पंजीकृत डाक द्वारा एक विवरण सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आयातक की सूचना देते हुए भेजा जाएगा। आयातक के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि संबद्ध बैंक द्वारा अनुबंध-4 का प्रपत्र ठीक तरह से तैयार किया गया है और संबंधित अनुदेश-पत्र में प्राधिकृत पोतलदानों के पूर्ण होने के एक महीने के भीतर वह प्रपत्र सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया है। आयातक के लेखे को बन्द करने और जहां कहीं बैंक गारंटी हो उसको रिहा करने के लिए अनुबंध-4 मे विवरण आवश्यक है।

7.9. आयातक के बैंक की जानकारी में आने पर या सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक द्वारा संकेत करने पर किसी भी कम निक्षेप को तुरन्त सुधार दिया जाएगा और प्राप्त किए गए सबद्ध राजकीय चालान की प्रति आयातक के खाते को बन्द करने के प्रयोजनार्थ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाएगी।

8. विविध

8.1. भारतीय आयातक और फ्रैन्च संभरकों के बीच या भारतीय आयातक और संबद्ध भारतीय बैंक के बीच यदि किसी प्रकार का झगडा होगा तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी।

8.2. भारतीय आयातक आयात लाइसेंस के संबंध में उठने वाले किसी एक मामले या सभी मामलों से संबंधित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का और फ्रांसीसी सरकार तथा फ्रांसीसी बैंकों के साथ ऋण समझौते के अधीन सभी दायित्वों को पूर्ण करने का तुरन्त पालन करेगा।

8.3. इसमें निर्धारित किसी भी शर्त का किसी प्रकार का उल्लंघन न करने या इसे तोड़ने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, और इसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध-1

आवासीय बैंकों की सूची

1. बैंक्यू फ्रैंकाइस डयू कामर्स, एक्सटीरियर 21, बिल्डिंग हाऊसमान, 75009 पेरिस।
2. बैंक्यू नेशनल डी पेरिस, 16, बिल्डिंग डेस इटेलियन्स, 75009।
3. सोसाइटी जनरली, 29, बिल्डिंग हाऊसमान, 75009 पेरिस।
4. क्रेडिट लियोनेइस, 19, बिल्डिंग डेस इटेलियन्स, 75002 पेरिस।
5. क्रेडिट इंडस्ट्रीयल एट कमर्शियल, 66, रयू डी ला विक्टोरी, 75009 पेरिस।
6. बैंक्यू डी एल' यूनियन यूरोपीन, 4/6 रयू गाईलोन, 75002 पेरिस।
7. क्रेडिट कमर्शियल डी फ्रांस, 103 आवे डेस चेम्पूस एलिसीस, 75008 पेरिस।
8. बैंक्यू इन्डोसूएज, 44, रयू डी कोर्सीलिस, 75008 पेरिस।
9. बैंक्यू लुइस ड्राइफ्स, 6, रयू रेबेलाइस, 75008 पेरिस।
10. बैंक्यू पेरीब्स, 3 रयू डी' एन्टीन, 75002 पेरिस।
11. क्रेडिट डू नोर्ड, 57/59 बिल्डिंग, हाऊसमान, 75008 पेरिस।
12. कैइसे नेशनल डी क्रेडिट एग्रीकोल 91, बुलिवर्ड पास्चर, 750015 पेरिस।
13. बैंक्यू वार्म्स, 45 बुलिवर्ड हाऊसमान, 75009 पेरिस।
14. रिंडलेस बैंक एस ए, 7 रयू मेयरबीर, 75009 पेरिस।
15. बैम्लेस बैंक एस ए, 33 रयू डी 4 सेप्टेंबर, 75002 पेरिस।

अनुबंध-2क

क्रेता द्वारा संभरक को भेजे जाने वाले पत्र का नमूना

श्रीमान्

हम . . . के संभरण के लिए आपके साथ तय की गई संविदा जो . . . . तिथि को हस्ताक्षरित की गई, के संदर्भ में।

इस संविदा के प्रावधान या इस संविदा से संबंधित मुकदमे के परिणामस्वरुप दिए गए निर्णय के अनुसरण में आपकी कम्पनी और सह-आभारक हमारे डेबिटर्स हो सकते है।

हम यह सूचित करना चाहते हैं कि करार समझौते के अनुसार . . . . (उधारदाता) के साथ . . . . तिथि को हस्ताक्षरित भारतीय गणराज्य आदेश के उन सभी आवश्यक कदमों को उठाने को वचनबद्ध हैं जो बैंकयू फ्रैंकाइस डयू कामर्स एक्स्टीरियर और ऐसे अन्य बैंक जिनके नाम से यह कार्य कर रहे हैं, को दिए गए और उपर्युक्त संविदा के अधीन आपकी कम्पनी और आपके सह-आभारक के विरुद्ध हमारे सभी दावों को पूरा करने को वचनबद्ध है।

इस आबंटन के परिणामस्वरुप हम एतद्द्वारा आपको अनुदेश देते हैं कि आबंटी बैंक के सामान्य हित के लिए कार्यरत बैंक फ्रैंकाइज डयू कामर्स एक्स्टीरियर को वह राशि दे दें जो आप हमें देनदार हैं और यह सुनिश्चित करने के

लिए कि आपके सह-आभारक (यदि कोई हो) वह सारी राशि बैंक्यू फेंकाइस डयू कामर्स एक्सटीरियर को दे दें जो आपने हमें देनी है।

इसके परिणामस्वरूप कृपया आप बैंक्यू फेंकाइस डयू कामर्स एक्सटीरियर को इसमें संलग्न नमूने के अनुसार अपने शीर्ष पत्र पर लिखे गए पत्र को भेजें और अपने सह-आभारक (यदि कोई हो) को भी इसमें संलग्न नमूने के अनुसार लिखे गए पत्र को उसी बैंक को भेजने के लिए अनुरोध करें।

भवदीय,

मोहर और हस्ताक्षर

ह० ह० ह० ह० ह०

अनुबंध-2 ख

ऋणदाता (लेंण्डर) की ओर से कार्यवाहक बैंक्यू फेंकाइसी डयू कामर्स एक्सटीरियर के लिए संभरक द्वारा भेजे जाने वाले पत्र का नमूना।

संदर्भ————————के संभरण के लिए———————— को हस्ताक्षरित संविदा

बैंक्यू फेंकाइसी डयू कामर्स एक्सटीरियर के पक्ष में और ———————— के पक्ष में

श्रीमान

आपके बैंक और वे बैंक जिनकी ओर से आप कार्य कर रहे है भारतीय गणतंत्र (ऋणी) के साथ · · · को एक क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संविदा के प्रावधानों के अनुसरण में · · के संभरण के लिए अथवा इस संविदा से सम्बन्धित मुकदमें में दिए गए निर्णय के फलस्वरुप हमने · · · · (बायर) के साथ · · को हस्ताक्षर किए, हमारी कम्पनी और हमारे सह-आभारी · · · · · (बायर) के प्रति ऋणी होंगे।

इस सम्भावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त ऋण समझौते में · · · (ऋणी) सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि कोई अथवा बायरों के सभी दावों के भद्दे हमारी कम्पनी और हमारे सह-आभारी को आपके बैंक और उन बैंकों को सौपी जाए जिनके पक्ष में आप कार्य कर रहे है।

इस कार्यभार में वे सभी धनराशि शामिल होंगी जो कि हमारी कम्पनी और हमारे सह-आभारी उपर्युक्त कारणों के लिए उस धनराशि के योग तक उपर्युक्त ऋण समझौते के अधीन ऐसे बैंकों को देनी है, · · · · · · · · (बायर) को देय होगी।

· · · · (बायर) ने आपके बैंक जो कि मनोनीत के सामान्य हित के लिए कार्य कर रहा है को सभी धनराशि जो कि इस कम्पनी को हमें अदा करनी है भुगतान करने के लिए हमें आदेश दिया है और यह सुनिश्चय करने के लिए कि हमारे सह-आभारी आपके बैंक सभी धनराशि का भुगतान करें जो कि उक्त कम्पनी को इस कार्यभार के अधीन देनी थी।

आपके बैंक और उन बैंकों के पक्ष में जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में हमको जो आदेश दिए जाते है · · · · · · (बायर) द्वारा किए गए कार्यभार का हम ध्यान रखते हैं और हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ऐसे कार्यभार का पालन करने में कुछ हानि नहीं है।

लेकिन यह कार्यभार केवल उस धनराशि पर ही लागू होगा जिसकी प्रतिपूर्ति हम अविवादग्रस्त लिक्विड और जबकि · · · · · · (बायर) द्वारा हमारे पर देय धनराशि के साथ नही कर सकेंगे जबकि हम उक्त कम्पनी के प्रति डिवेटर होंगे।

परिणामतः हम एतद्द्वारा आपके लिए और उन बैंक(कों) के लिए जिनके लिए आप एक मनोनीत डिवेटर के रुप में कार्य कर रहे हैं उपर्युक्त विचारों के कारण उसी शक्ति एवं प्रभाव के साथ जैसा कि आप मूल रूप से ऐसे दावों के हकदार थे, हमारे किसी एक और सभी भुगतानों की कवल अपने बैंक जो कि उपर्युक्त बैंकों के सामान्य हित के लिए कार्य कर रहा है आपके लिए स्वयं एतद्द्वारा आभारी है।

यह समझा जाता है कि चूंकि यह कार्यभार (डेलिगेशन) फ्रेंच नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1275 के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है ऐसे कार्यभार के लिए हमको कोई नोटिस नहीं दिया जाना है।

भवदीय

सील एवं हस्ताक्षर

ह० ह० ह०

अनुबन्ध-2 ग

ऋणदाता (लैण्डर) की ओर से कार्यवाहक बैंक्यू फेंकाइसी डयू कामर्स एक्सटीरियर को प्रत्येक संभरक के सह-आभारी द्वारा भेजे जाने वाले पत्र का नमूना

संदर्भ————————के संभरण बैंक्यू फेंकाइसी डयू कामर्स के लिए———————— एक्सटीरियर के पक्ष हस्ताक्षरित संविदा में और ———————— ————————के पक्ष में

श्रीमान

आपके बैंक और बैंकों ने जिनकी ओर से आप कार्य कर रहे हैं भारतीय गणराज्य (ऋणी) के साथ ———— ———————— की एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है।

संविदा के प्रावधानों के अनुसरण में कि संभरक———— ———— ने के संभरण के लिए ———— ————(बायर) के साथ ———— को हस्ताक्षर किए या इस समझौते से संबंधित मुकदमे के फलस्वरूप दिए गए निर्णय ————(सम्भरक) ————,और हमारी कम्पनी सह-आभार के रूप में ———— ————(बायर) के प्रति डिबेटर हो जाए।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त ऋण समझौते में ————(बायर) सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध हैं ताकि किसी अथवा सभी बायरों के दावों के प्रति———— संभरक तथा हमारी कम्पनी आपके बैंक और उन बैंकों को जिनकी ओर से आप कार्य कर रहे हो, सौंपी जाए।

इस कार्यभार में वे सभी धनराशि शामिल होंगी जो कि ————(संभरक) और ———— ———— सह-आभारी के रूप में हमारी कम्पनी ————(बायर) के उपर्युक्त कारणों के लिए उस धनराशि के योग तक ऋणी होगी जो कि उपर्युक्त ऋण समझौते के अधीन ऐसे बैंकों को देय होगी ; ————(बायर) ने आपके बैंक जो कि मनोनीत बैंकों के सामान्य हित के लिए कार्य कर रहा है, को सभी धनराशि जो कि उक्त कार्यभार के अधीन इस कम्पनी को देय होगी भुगतान करने के लिए हमें अनुदेश दिया है। आपके बैंक और बैंकों के पक्ष में जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में हमको जो आदेश दिए जाते हैं ———— (बायर) द्वारा किए गए कार्यभार का हम ध्यान रखते हैं और हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ऐसे कार्यभार को पालन करने में कुछ हानि नहीं है।

लेकिन यह कार्यभार केवल उस धनराशि पर ही लागू होगा जिसकी प्रतिपूर्ति ———— (संभरक) अविवादग्रस्त लिक्विड और ———— (बायर) ————द्वारा ———— ————(संभरक) के लिए नहीं कर सकता। हम एतद्द्वारा आपके आभारी हैं और उस बैंक के जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं उपर्युक्त विचारों के कारण सौंपे गए सह-आभार के रूप में उसी शक्ति एवं प्रभाव के साथ जैसा कि आप मूल रूप से ऐसे दावो के हकदार हैं/थे। हमारे किसी एक और सभी भुगतानों को केवल आपके बैंक जोकि उपर्युक्त बैंक के सामान्य हित के लिए कार्य कर रहा है, आपके लिए स्वयं एतद्द्वारा आभारी हैं।

यह समझा जाता है कि चूंकि यह कार्यभार "डिलिगेशन" फ्रेंच नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1275 के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है, ऐसे कार्यभार के लिए हमको कोई नोटिस नहीं दिया जाना है।

भवदीय

सील एवं हस्ताक्षर
ह० ह० ह०

अनुबंध-3
(पैरा 5.1 देखें)

बैंक गारन्टी बाण्ड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति, (जिसे आगे सरकार कहा गया है) के हेतु फ्रैंच क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत (इसके बाद इसे आयातक कहा गया है) को उपर्युक्त फ्रैंच क्रेडिट के प्रति ·····रुपए के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं ·····दिनांक····· ·····के अनुसरण में आयातक द्वारा····· तक के आयात के लिए भुगतान करने की व्यवस्था करने लिए सहमत होते हुए हम·····उक्त क्रेडिट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति और उपयुक्त लेखा शीर्षक में आवासीय फ्रांसीसी बैंक द्वारा किए गए भुगतान की धनराशि को जमा करने के लिए आयातक द्वारा प्रार्थना करने पर सार्वजनिक सूचना सं. 108-आई.टी.सी.(पी.एन)/72, दिनांक 21-7-72 द्वारा संशोधित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 15-आई. टी. सी.(पीएन)/72, दिनांक 28-1-72 मे दिए गए फार्मूले या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ए.डी. परिपत्र के आधार पर या भारत सरकार की सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित फार्मूलें के आधार पर हिसाब लगाकर विनिमय की मिली जुली दर पर परिवर्तित·····के समतुल्य भारतीय रुपए तथा उसके साथ उपर्युक्त दर से परिवर्तित 1 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से कमीशन तथा अन्य प्रभार और उस पर फ्रांसीसी संभरक को भुगतान करने की तिथि से लेकर, सरकार के लेखे में जमा कराने की तिथि तक के समय के लिए प्रथम तीस दिनों के लिए····प्रतिशत वार्षिक दर एवं इससे अधिक अवधि के लिए·····प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से भुगतान की सूचना की पावती की तिथि से 10 दिन के भीतर जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली, स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, शाखा दिल्ली-6 में सरकार के खाते में नकद निक्षेप करने की व्यवस्था करेंगे और यह संभव नहीं हो सकने की स्थिति में स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (केन्द्रीय

सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) के नाम में और इसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से व्यवस्था करेंगे । दर्शनी हुण्डी राजकोष चालान (विधिवत भरे हुए और प्रेषणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 को सीधे भेजी जाएगी ।

2. हम.....बैंक, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयात दस्तावेजों के परक्राम्य सेट और/या संभरक के लिए भुगतानों से संबद्ध अन्य दस्तावेजो की रिहाई आयातक को केवल तभी की जाएगी जब कि उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जा चुका हो ।

3. हम.....बैंक, किसी बकाया धनराशि की जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकानी हो जैसा कि सरकार निदेश दे तो ऐसी बकाया धनराशि जो.....रुपए से अधिक नहीं हो या उसका कोई भाग और उस धनराशि के साथ, फ्रेंच संभरकों को भुगतान की तिथि से आयातक द्वारा जितने समय तक यह देय रहे उस पर प्रथम 30 दिनों के लिए....प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए.....प्रतिशत वार्षिक हिसाब से ब्याज तथा कमीशन और यथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से अन्य प्रभारों का आयातक द्वारा भुगतान न करने की त्रुटि पाई जाने पर हम क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का वचन देते है। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से हमारे.....बैंक द्वारा देय धनराशि के संबंध मे त्रुटि होने पर हमारे.....बैंक के लिए सरकार का निर्णय अंतिम और अनिवार्य होगा।

4 हम .....बैंक, यह भी वचन देते हैं कि हम भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना ही सम्बद्ध बैंक को अदा किए जाने वाले तार खर्चे सहित बैंक तथा डाक प्रभारों को प्रेषित कर देगे।

5. हम.....बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समानता दर मे या अन्यथा परिवर्तन के परिणामस्वरुप, आयातों के मूल्य मे वृद्धि या संविदा के अंतर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि की धनराशि का समायोजन इस गारंटी बाण्ड में उसी तिथि से और उसी अनुपात मे कर दिया जाएगा जब से यह परिवर्तन लागू होगा।

6. हम.....बैंक, आगे इससे भी सहमत है कि यह गारन्टी माल-सामान की सुपुर्दगी के विषय में उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारंटी के अधीन या इसकी वजह से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया नही चुका दी जाएगी और हमें इसके दावों की संतुष्टि या अदायगी नहीं कर दी जाएगी तब तक पूर्ण-रूपेण लागू और प्रभावी रहेगी।

7 इस गारंटी बाण्ड में निहित जिम्मेदारी आयातक या.....बैंक के संघटन में कोई परिवर्तन हो जाने पर प्रभावित नहीं होगी, और इस गारंटी में प्राप्त जिस धनराशि का भुगतान आयातक से कराना है उसको चुकाने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार की गारंटी को रद्द किए बिना अपने द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय के लिए या समय-समय पर आयातक के लिए विरुद्ध प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में या आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या आयातक को सरकार द्वारा उसकी तरफ से किसी अनुग्रह के कारण कोई अन्य स्थगन, कार्य छूट या जिम्मेदारियों से संबंधित कानून के अंतर्गत किसी अन्य मामले से या किसी भी बात से सरकार के अधिकार की स्वतंत्रता के कारण.....बैंक इस गारंटी के अधीन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा।

8. हम.....बैंक, अन्त में यह वचन देते हैं कि सरकार को लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

9. इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व..... रुपए (इस पर ब्याज व प्रभार के साथ दी गई गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिक होने की आशा नहीं है, तक प्रतिबंधित है) और यह गारंटी.....दिन*.....मास..... 19.....तक लागू रहेगी।

10. जब तक इस गारंटी के अंतर्गत के उक्त तिथि के डेढ़ वर्ष के भीतर लिखित रूप में दावे नही किए जाते और इसके बाद जैसी.....तक अगले $1\frac{1}{2}$ वर्ष के भीतर जब तक इन दावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो इस गारंटी के अंतर्गत सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएगें और हम उनमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे।

श्री
(नाम और ओहदा)
के द्वारा भारत के
राष्ट्रपति के लिए

उनकी ओर से स्वीकृति

हस्ताक्षर.....

दिन व तारीख
कृते .....

*यह तिथि जिसे तिथि को संभरकों के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की संभावना है, उसमे एक मास जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी।

टिप्पणी:--

1. उपर्युक्त कंडिका 3 और 9 के अनुसार बैंक गारंटी का मूल्य संविदा के मूल्य के लिए आयात लाइसेंस

के जारी करने की तारीख को प्रचलित सीमा-शुल्क विनिमय दर में 1 प्रतिशत जोड़कर ही निकाला जाना चाहिए ।

2. वह स्टाम्प पेपर, जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, उसे स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार कलक्टर द्वारा निर्मित किया जाना है ।

अनुबंध-4

(दो प्रतियों में)

(पैरा 5.i)

अनुदेश जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

(दो प्रतियों में भेजा जाना है)

सं. ..... दिनांक.....

सेवा में,

सचिव, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग, ई. ई. सी. प्रभाग,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-1

(ध्यान:)

विषय:-- फ्रांस ऋण के अन्तर्गत आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रांस से .....
.....का आयात करने के संबध
(माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

में हम निम्नलिखित ब्यौरा देते हैं और एतद्द्वारा .....की धनराशि (लागत तथा भाड़ा/लागत-बीमा-भाड़ा) के लिए अनुदेश पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं:--

(क) आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस---

(1) संख्या

(2) दिनांक

(3) धनराशि

(4) वैधता अवधि

(ग) फ्रेंच संभरक का नाम और पता

(घ) संविदा की तिथि/संशोधन

अथवा

संभरकों द्वारा आदेश की फाइनल स्वीकृति की तिथि ।

(ङ) गैर-फ्रांसीसी मूल के माल की प्रतिशतता, यदि कोई हो ।

(च) संविदा का मूल्य : पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत घट भारतीय एजेन्ट का कमीशन यदि कोई हो ।

कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य:

भाड़ा*

बीमा*

कुल .

*भाड़ा एवं बीमा कीमतें तभी दिखाई जाएं जब कि वे फ्रांस ऋण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए पात्र हों (लाइसेंस शर्तों का पैरा 4. 4. 3 देखें)

(छ) (1) पोतलदान की तिथियों या वे तिथियां जिनको सेवा कार्य पूर्ण किए जाएंगे ।

(2) संविदा में यथा निर्धारित, प्रत्येक पोतलदान या पूर्ण किए गए सेवा कार्य का मूल्य

(ज) उस फ्रांसीसी आवासीय बैंक का नाम जिसके माध्यम से संभरक को भुगतान किया जाना है। (अनुबंध-1 में सूचीबद्ध 15 फ्रांसीसी बैंकों में से एक बैंक ।)

(1) वह तिथियां जिनको संविदा के अधीन भुगतान देय होंगे.....

(i) अग्रिम भुगतान के संबंध में (जहाज पर निःशुल्क मूल्य का कम से कम 5 पौंड)

(2) अन्य भुगतान

2. संविदा/संशोधन की दस प्रतियां और आयात लाइसेंस की दो प्रतियां संलग्न हैं ।

**3. एक बैंक गारंटी जो .....केवल निजी क्षेत्र में आयातकों के लिए .....लागू है । (विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पूरा डाक पता) द्वारा स्थापित की गई और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा न्याय निर्णित की गई है वह भी संलग्न है।

आयात दस्तावेज इस बैंक को भेजें जाएं ।

इस बैंक द्वारा प्रस्तुत गारंटी का मूल्य.....
.....है, दिनांक .....
है, और .....तक वैध है ।

†3 आयात दस्तावेज..... को भेजें । (स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा या इसके सहायक बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का पूरा नाम और डाक पता) ।

4. एतद्द्वारा इस बात पर सहमति है कि फ्रांसीसी संभरक को किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए लाइसेंस शर्तों में यथा निर्धारित रुपया निक्षेप उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लिखित बैंक के माध्यम से सरकार के लेखों में किए जाएंगे। इस बात पर सहमति हो गई है कि संगत आयात दस्तावेज, मूल परक्राम्य, लदान दस्तावेज सहित उक्त बैंकर्स द्वारा हमें तभी रिहा किए जाएंगे जब धनराशि सरकार के लेखे में जमा करा दी जाती है। हम उपयुक्त कंडिका 3 में उल्लिखित बैंक के माध्यम से उस बैंक को आवासीय फ्रांसीसी बैंक के प्रभारों (कमीशन, डाक, तार खर्चों आदि) को भी प्रेषित करने के लिए सहमत हैं।

5. हम वचन देते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शर्तों के सभी प्रावधानों को मानेंगे और उनकी अनुपालना करेंगे जिसके लिए आवेदन किया गया है।

6. आपसे अनुरोध है कि फ्रेंच क्रैडिट के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए संविदा अनुमोदित करा लें और संभरकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए फ्रैंच प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण पत्र जारी करें।

भवदीय,

(——————————)

(लाइसेंसधारी

*जो लागू नहीं है उसे हटा दीजिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के लिए लागू

†सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य और केन्द्रीय सरकार के लिए लागू।

अनुबन्ध 5

फ्रैंच क्रैडिट के अधीन वित्तपोषित आयातों के संबंध में, पोत लदानों को पूरा करने के बाद अथवा संभरक को भुगतान पूर्ण करने के पश्चात् एक मास के अन्दर भेजे जाने वाला विवरण/आवेदन।

1. आयातक का नाम

2. आयात लाइसेंस सं.

*3. बैंक गारण्टी—

(1) संख्या

(2) तिथि

(3) धनराशि रु. ......

(4) गारन्टर बैंक का नाम

4. वित्त मंत्रालय के अनुदेश पत्र की संख्या तथा तिथि

5. अनुदेश पत्र का मूल्य

6. संभरक को किए गए भुगतान का कुल योग

7. अनुदेश पत्र का अनुपयोगी मूल्य अर्थात् कालम 5 से 6 तक की धनराशि जो कि एतद्द्वारा अवांछीत प्रमाणित की गई है।

8. आवासीय फ्रैंच बैंक द्वारा मांगी गई धनराशि अर्थात् बैंक खर्चे, डाक और केबिल खर्चे आदि जो कि सीधे उस बैंक को प्रेषित कर दिए गए हैं—

(1) प्रेषण की तिथि

(2) प्रेषित धनराशि

9. संभरक को किए गए भुगतान का ब्योरा और उसके अनुरूप जमा किया गया रुपया :—

संभरक के लिए भुगतान		अनुरूप जमा किया गया रुपया		
तिथि	धनराशि (विदेशी मुद्रा)	ट्रेजरी चालान एसबी आई/आर बी आई	तिथि	धन राशि रु०
1				
2				
3				
4				
योग				

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार ऊपर दी गई सूचना ठीक है। हम एतद्द्वारा इस अनुदेश पत्र से संबन्धित मामले को बन्द करने के लिए अनुरोध भी करते हैं। ऊपर उल्लिखित बैंक गारन्टी* कृपया रद्द कर दी जाए और हमको वापस कर दिया जाए।

प्राधिकृत हस्ताक्षर

*केवल निजी क्षेत्र आयातकों के लिए लागू।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 81-ITC(PN)|84-85

New Delhi, the 23rd January, 1985

Subject :—Licensing Conditions for French Credits for 1982-83 and later years.

File No. IPC/23(10)/84-85.—The terms and conditions governing imports under the French Credits for 1982-83 and later years, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information to suppliers including the down payments, are made

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX

Licensing Conditions for imports under French Credits for 1982-83 and later years

Credits are made available by French authorities to the Government of India for financing imports of French goods and services for development projects and other purposes. These credit funds are used by the Government of India by making foreign exchange.

available to Indian importers in accordance with the Import Policy. Under the French Credits, payments to suppliers including the dawn payments, are made directly from the credit funds and corresponding Rupee funds have to be deposited by the importers into the account of the Government of India.

2. In the light of the eligibility criteria and procedural requirements in the agreements for French credits, these Licensing conditions are prescribed by the Government of India for guidance of and compliance by the importers.

These Licensing Conditions will come into force immediately and will remain in force until further orders.

I. Allocations from French Credits

I. 1 Allocations|releases of foreign exchange against French credit funds are made by the Department of Economic Affairs (EEC Division), hereinafter referred to as "DEA", on references made to it for the purpose or at the time of approvals of import proposals by the Capital Goods|Empowered Committees.

I.2. Unless otherwise agreed by DEA in deserving cases, the allocations|releases will have to be effectively used by importers, by obtaining import licence, within a period of four months. In the absence of a receipt by DEA within this period of either—(i) a request for extension of the time limit with reasons therfor, or (ii) a copy of import licence (in duplicate) obtained, or (iii) in the case of OGL items, an intimation that the order has been placed on the French supplier, the allocation|release will be cancelled by DEA.

II. Import Licence

II.1 Import licence will be issued by the Office of the Chief Cntroller of Imports and Exports (CCI&E) in accordance with the Import Policy. The Import Licence will :—

(a) provide a validity period of four months for contracting, which may be extended for a period of upto further four months on request, with valid reasons therefor. Any request for extension beyond 8 months from the date of issue will have to be referred to DEA and will be considered by it only in special deserving cases.

(b) show the Rupee value, on c.i.f. basis, calculated at the customs rate of exchange prevailing on the date of issue of Licence, which rate will be specified in the licence.

(c) will provide validity period for completion of shipments of 24 months in the case of capital goods and 12 months in other cases.

(d) will bear a supercription "French Credit".

(e) will include in its value the commission payable to the Indian agent; if any.

II. 2 Immediately on the issue of the import licence, the importer should send to DEA two photocoples of the licence, and advise the expected date of the contract with the French Supplier.

III. Contract with French Supplier

III. 1 The importer should ensure that the contract is concluded with the French supplier expeditiously, within the validity period indicated in II. 1(a) above.

III. 2 Unless otherwise agreed by DEA in advance, only one contract will be concluded against each import licence. Also, the contract value should be equal to the value of the French credit allocated or released by DEA. Part financing of the f.o.b. value from other sources should be avoided in particular.

III. 3 Each contract should invariably be a complete, self contained document, signed in token of award and acceptance by the importer and the French supplier. A contract in the form of a series of correspondence between the parties, or a contract signed and accepted by an Indian agent on behalf of French supplier will not be accepted.

III. 4 Any amendment or modification of a contract should also be signed by the importer and the French supplier, and should be promptly advised by the importer to DEA, in ten copies as in the case of the original contract. Necessary amendment of the import licence, if any, should also be ensured by the importer.

IV. Terms and Conditions of Contract.

Special care should be taken by the importer to ensure strict compliance with the following terms and conditions :

1. Currency : As the French Credits are in French Franc, the contract should be denominated and should provide for payments to French supplier in French currency. Any departure from this provision must be got approved from DEA in advance of the conclusion of the contract.

2. Price : The contract should indicate firm price on f.o.b., c. & f. or c.i.f basis; price escalation is not covered under French credits and should therfore be avoided. The contract should normally be on c.i.f basis, unless marine insurance is contracted with Indian insurance company. In any case, the contract must indicate separately and distinctly the f.o.b price, freight charges and insurance cost, as well as Indian agents commission if any; such commission will be payable by the importer to the agent only in Indian Rupees and the contract should clearly indicate this.

3. Minimum Value : Following minimum value limits (F.O.B.) are prescribed under French credits for contracts with French suppliers :

	minimum value (fob
(a) contracts for heavy equipment or for industrial projects.	FF 5,000,000
(b) contracts for light equipment projects	FF 1,000,000
(c) contracts for other imports	FF 80,000

4. Origin of goods :

4.1. French credit is available only to pay for goods and services of French origin; however, it may be extended to cover goods and services which originate in other countries but are subcontracted by and incorporated in deliveries to be made by, the French supplier and therefore remain under the supplier's responsibility, and conform to the limits and conditions fixed by the French authoarities. For this purpose, a stipulation as to the origin of goods should be incorporated in the contract ; in the case of any non-French content, a letter evidencing approval of the French authorities to the financing thereof must be secured from the supplier and embodied in the contract, if such non-French content is to be covered under French credit.

4.2 It is to be noted that supply of second-hand equipment is not normally eligible for credit financing, unless prior approval of the French authorities is available therefor in particular cases.

4.3 French credit funds can cover the transportation (overseas) costs only if shipment is effected under a bill of lading issued by a French shipowner and supported by a certification issued by the French Board of Merchant Marine. Similarly, in order to qualify for credit coverage, insurance must have been contracted with French insurance companies. In both these cases, use of French credit or otherwise, must be envisaged at the time of finalising the contract so that credit funds can be reserved therefor at the time of contract notification to and approval by the French authorities. Paragraph IV. 2 above may also be seen in this connection.

4.4 In the case of c.i.f. contracts in currencies other than French Franc (see IV.1 above), freight and insurance charges if not covered under French credit (see 4.3 above) will be payable from India's own resources. This payment will be made in French franc by applying the official inter-bank rate of exchange prevailing on the Bourse de Paris two banking days prior to the date of the payment. This should be clearly stipulated in the contract.

5. Port of shipment : If necessary, goods can be shipped from non-French ports; cases of this nature are, however, expected to be rare.

6. Payment terms :

6.1 A down-payment of at least ten per cent of the f.o.b. price is required to be made to the supplier immediately on order, and must be so provided for in the contract. For a down-payment of more than ten per cent, prior approval of DEA must be obtained before finalisation of the contract. A bank guarantee from the supplier against such down-payment may be ensured and provided for in the contract as appropriate.

6.2 Terms of payment for the balance of the contractual all payments should be in accordance with normal commercial practice as applicable to the particular type of goods|services to be provided under the contract. Stage payments prior to the shipment of goods, if warranted, are permissible; such stage payments must be clearly defined in the contract and appropriate bank guarantees against such advance payments should be obtained from the supplier in due time.

6.3 In certain cases, payment of the last instalments to the supplier|contractor may be justifiably linked to erection, commissioning, performance, provisional or final acceptance, etc. However, under French credit regulations, all payments to the supplier|contractor need to be completed by or on shipment. Therefore, the contract should provide for completing all payments by the final shipment, and for furnishing by the supplier|contractor appropriate bank guarantees for that part of payment which would but for the French credit regulations, have been withheld until commissioning, performance tests, etc.

7. Other provisions : The contract must also include provisions to cover the following :

(a) The effectivity of the contract will, inter alia, be subject to the approval of the contract by the Indian and French authorities for financing under the French Credit.

(b) All payments to the supplier, including the down-payment, have to be made by a domiciliary bank in Paris directly from the French Credit funds. For this purpose, the domiciliary bank is to be selected from the banks listed in Annex I and specified in the contract.

(c) The documents which have to be presented by the supplier to the domiciliary bank for each payment must be clearly stipulated in the contract. However, where bank guarantees are to be obtained for stage payments (see 6.2 above), they should be obtained by the importer separately in due time and should not be listed as a document to be presented by the supplier to the domiciliary bank.

(d) The contract should provide that both the parties to the contract will furnish such information and documents as may be required under the French credit agreements between the Government of India and French authorities.

(e) In the case of a contract for industrial plant and equipment, the contract should also provide that the Indian importer, the French supplier and his sub-contractors or co-assignees (if any) agree that all sums due from the supplier to the importer will be assigned and will be paid direct to the domiciliary bank. For the purpose of such assignment, "Letter(s) of Delegation" will have to be furnished on request of DEA or the French authorities. A specimen copy of such letter of delegation is at Annex IIA, IIB and IIC.

V. Contract Notification and Approval

V. 1. Immediately on conclusion of the contract, the importer must forward to Department of Economic Affairs (EEC Division) :

(i) ten certified copies of the contract and/or any amendment (s) duly executed in English language with dated signatures thereon by both the Indian importer and the French supplier,

(ii) two photo copies of the relevant import licence,

(iii) a guarantee (as in Annexure III) obtained from a scheduled bank authorised by the Reserve Bank of India to deal in Foreign exchange. This bank guarantee is not required to be furnished by Government departments and public undertakings, and

(iv) a request (in duplicate) for issue of Letter of Instruction in the form prescribed in Annexure. IV.

V.2. On receipt of the above documents, Department of Economic Affairs will notify the contract to the Counsellor for Economic Affairs, Embassy of France, New Delhi. Acceptance of the contract will be confirmed by the Embassy of France whereupon the contract will be considered as approved by the Indian and French authorities, thus fulfilling the relevant conditions for effectivity of the contract. Select and authorise one of the banks listed in Annex I.

VI. Arrangements for Payments to Supplier

VI. 1. Payments to the supplier due under the approved contract will be made by the domiciliary bank, specified in the contract on presentation of documents as specified in the contract. In the demiciliary bank is not specified in the contract, Department of Economic Affairs will select and authorise one of the banks listed in Annexure-I to make such payment. For this purpose a "Letter of Instruction" (LOI) will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, (CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO, Bank Building, Parliament Street, New Delhi, to the domiciliary bank. Copy of the LOI will be sent simultaneously to the importer and the Indian bank nominated by the importer.

VI. 2. After each payment to the supplier in accodance with the contract provisions and authorisation under the LOI, the original documents presented by the supplier for such payment will be forwarded by the domiciliary bank, along with details of bank charges (if any) and expenses on postage etc., to the Indian Bank, nominated by the importer in the request as at Annex IV.

VI. 3. Within one week of receiving the advice from the domiciliary bank the Indian bank will remit the amount of banking charges and postage including cable charges directly to the French Bank concerned without affecting the Government of India's account. For this purpose, necessary rupees will be collected by the Indian bank from the Indian importer.

VI. 4 Except such remittance for banking charges, postage, etc., no remittance from India is permissible under an import licence issued under French Credit.

VII. RUPEE DEPOSITS

VII. 1. Within a maximum of ten days from receipt of the documents from the domiciliary bank, the Indian bank must arrange deposit of the rupee equivalent of the payment made to the foreign supplier as indicated in the invoice and commission and incidental charges @ 1 per cent ad valorem thereon. In addition, interest on the above (i.e. rupee equivalent plus 1 per cent Ad valorem) at the rate(s) prescribed by the Government of India which will be specified in the LOI will also be payable to the Government for the actual interval between the date of payment to the foreign supplier and the date of deposit of rupee equivalent. The interest rate presently prescribed for this purpose is 12 per cent per annum for the first 30 days and 18 per cent per annum for the period in excess of 30 days. The provision regarding payment of interest will not apply to the Government Departments.

VII. 2. The rupee equivalent will be calculated at the composite rate arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15-ITC (PN)/72 dated 28-1-72 as amended by the Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-1972, Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-76 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the Chief Controller of Imports and Exports.

VII. 3. It will be the responsibility of the concerned Indian bank, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the original documents (referred to in VI. 2 above) are handed over to the importer. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into government account, before taking delivery of the documents from the bank.

VII. 4. Deposits may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 or remitted by means of a demand draft from a local branch of the State Bank of India, or its subsidiaries, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to the Central Government Account. The deposit should be made in the challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-74. The demand draft should be sent direct to the State Bank of India Tis Hazari Branch, Delhi-6 with treasury challan (duly filled in and signed by remitter) in quadruplicate. The Head of Account to be credited is "K—Deposits and Advances (b) Deposits not bearing interest 843 Civil Deposits for purchases from abroad under French Credits".

VII. 5. One copy of the treasury challan and form evidencing the rupee deposit duly receipted by the Reserve Bank of India, or the State Bank of India Tis Hazari Branch, Delhi-6, as well as the intimation regarding the furnishing of demand draft to State

Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 should be sent by registered post by the concerned Indian bank to CAA&A indicating reference to the letter of instruction issued by him. In accordance with Note 1 under the format of the treasury challan prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 the date of posting the demand draft will be deemed to be the date of deposit of rupee equivalent in the Government Account. To ensure recovery of interest from importers for the correct period, it is essential that the date of posting of the demand draft is invariably intimated to CAA&A in each case.

VII. 6. It will be obligatory for the importer to make the requisite rupee deposit only through an Authorised Dealer. The Indian bank will also endorse the amount of rupee deposit on the exchange control copy of the import licence as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-1968 and send the requisite 'S' form to the Reserve Bank of India, Bombay.

VII. 7. If Rupee deposit is delayed by more than 180 days, Department of Economic Affairs will have a right to refuse issue of further LOI, and|or to instruct CCI&E to suspend issue of any new import licence to the importer.

VII. 8. As soon as the shipments are completed or final payment is made to the supplier, but not later than one month after the last shipment is cleared or last payment to supplier is made a statement in the the form given in the Annex V will be rendered by the————bank to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi under a registered cover, under advice to the importer. It will be obligatory on the part of the importer to ensure that Annexure-IV is correctly prepared by the bank concerned and is rendered to the Controller of Aid Accounts and Audit within one month of the completion of shipments authorised in the relevent Letter of Instructions. Statement in Annexure-IV is necessary for closing the importers account and for releasing the Bank guarantee wherever applicable.

VII. 9. Any short deposits coming to notice of importer's bank or pointed out by the CAA&A will be immediately made good and a copy of the relevant receipted treasury challan forwarded to CAA&A for closing the importers account.

VIII. Miscellaneous

VIII. 1. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the French supplier or between the Indian importer and the Indian bank concerned.

VIII. 2. The Indian importer shall promptly comply with any direction, instruction, or order issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement with the French Government and French banks.

VIII. 3. Any breach of violation of any of the conditions prescribed herein will result in appropriate action under the Import and Exports (Control) Act, 1947 and orders issued thereunder.

Annexure I

List of domiciliary banks

1. Banque Francaise Du Commerce Exterieur
   21, Bld Haussmann,
   75009 Paris.
2. Banque Nationale De Paris
   16, Bld des Italiens,
   75009.
3. Societe Generale
   29, Bld Haussmann,
   75009 Paris.
4. Credit Lyonnais
   19, Bld des Italiens,
   75009 Paris.
5. Credit Industriel et Commercial,
   66, rue de la Victorie.
   75009 Paris.
6. Banque De Liunion Europeane
   4|6, rue Gaillon,
   75002 Paris.
7. Credit Commercial De France,
   103 ave des champs Elysees,
   75008 Paris.
8. Banque Indosuez,
   44, rue de Courcelles,
   75008 Paris.
9. Banque Louis Dreyfus,
   6 rue Rabelais,
   75008 Paris.
10. Banque Paribas,
    3 rue d' Antin,
    75002.
11. Credit Du Nord,
    57|59 Bld Haussmann,
    75008 Paris.
12. Caisse Natianale de Credit Agricole,
    91, boulevard Pasteur,
    750015 Paris.
13. Banque Worms,
    45, Boulevard Haussmann,
    75009 Paris.
14. Grindlays Bank SA,
    7, rue Meyerbeer,
    75009 Paris.
15. Bamclayys Bank SA,
    33, rue due 4 September,
    75002 Paris.

Annexure II. A.

SPECIMEN OF THE LETTER TO BE SENT BY THE BUYER TO THE SUPPLIER

Dear Sirs,

We refer to the contract that we signed on..... with you, for the supply of.....

Pursuant to the provisions of this contract or to any judgement given as a result of litigation relating to this contract, your company and the co-obligors may be debtors towards ourselves.

We wish to inform you that according to the Credit Agreement that THE REPUBLIC OF INDIA signed on.....with.....(the Lenders)..... ....., it undertook to take all necessary steps in order that we assigned to BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR and such other bank (s) on behalf of which it is acting any and all of our claims against your Company and your co-obligors under the above contract.

We hereby give you instruction as a result of this assignment to pay to BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR acting for the common interest of the assignee banks all such amounts that you may owe to us and to ensure that your co-obligors (if any) pay to BANQUE FRANCEISE DU COMMERCE EXTERIEUR all amounts that they may owe to us.

Consequently, would you please send to BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR a letter drawn up in accordance with the specimen enclosed herewith on your letterhead and make your co-obligors (if any) send to same Bank a letter drawn up in accordance with the specimen also attached herewith.

Yours faithfully,

Seal and Signature
Sd|- Sd|-
etc.

Annexure II. B.

SPECIMEN OF THE LETTER TO BE SENT BY THE SUPPLIER TO BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR ACTING ON BEHALF OF THE LENDERS

REF. Contract signed on.....
for the supply of.....

BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR on its behalf and on behalf of. .....

Dear Sirs,

Your bank and the bank (s) on behalf of which you are acting signed with THE REPUBLIC OF INDIA (Borrower) a Credit Agreement on.....

Pursuant to the provisions of the contract that we signed on.....with.....(Buyer).....for the supply of .....or to any judgment given as a result of litigation relating to this contract, our Company and our co-obligors may be debtors towards.. (Buyer).

Taking this eventuality into account, in the above-mentioned Credit Agreement.....(Borrower) .....undertook to take all necessary steps in order that any or all Buyer's claims against our Company and our co-obligors be assigned to your bank and to the bank(s) on behalf of which you are acting.

This assignment covers all sums that our Company and our co-obligors may owe to.....(Buyer)..... for the reasons above described up to the amount of the sums due to such banks under the Credit Agreement above-mentioned.

.....(Buyer)....gave us instruction to pay to your bank acting for the common interest of the assignee banks all amounts that we may owe to this Company and to ensure that our co-obligors pay to your bank all amounts that they may owe to said Company under said assignment.

We take note of the assignment made by..(Buyer) .....in favour of your bank and of the bank(s) on behalf of which you are acting as well as of the instruction it gave to us in this respect and we do hereby declare that there is nothing to impair the carrying out of such assignment.

However, this assignment will apply only to the sums that we could not compensate with sums undisputed, liquid and due owing to us by.....(Buyer)... at the time when we would be a debtor towards said Company.

Consequently, we do hereby obligate ourselves to you and to hte Bank(s) for the account of which you are acting, as an assigned debtor, on account of the above described considerations, with the same force and effect as if you were originally the beneficiary of such claims, to make any and all of our payments exclusively to your bank acting for the common interest of the above-mentioned banks

It is understood that, as this assignment ("delegation") is made pursuant to the provisions of Article 1275 of the French Civil Code, no notice of such assignment is to be made to us.

Yours faithfully,

Seal and Signature
Sd|- Sd|-

Annexure II. C.

SPECIMEN OF THE LETTER TO BE SENT BY EACH SUPPLIER'S CO-OBLIGOR TO BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR ACTING ON BEHALF OF THE LENDERS

REF. Contract signed on .....
for the supply of .....

BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR on its behalf and on behalf of.....

Dear Sirs,

Your bank and the bank(s) on behalf of which you are acting signed with THE REPUBLIC OF INDIA (Borrower) a Credit Agreement on.....

Pursuant to the provisions of the contract that..... (Supplier)........signed on........with....(Buyer) ....for the supply of .... or to any judgement given as a result of litigation relating to this contract..........(Supplier)........and our Company as co-obligor may be debtors towards.....(Buyer).

Taking this eventuality into account, in the above-mentioned Credit Agreement. ..(Borrower)..... undertook to take all necessary steps in order that any or all Buyer's claims against.......(Supplier)......... and our Company be assigned to your bank and to the bank(s) on behalf of which your are acting.

This assignment covers all sums that ..(Supplier) .....our Company as co-obligor may owe to........ (Buyer)..... for the reasons above described up to the amount of the sums due to such banks under the Credit Agreement above-mentioned

.........(Buyer).......gave us instruction to pay to your bank acting for the common interest of the assignee banks all amounts that we may owe to this Company under said assignment

We take note of the assignment made by........ (Buyer).....in favour of your bank and of the bank (s) on behalf of which you are acting as well as of instructions it gave to us in this respect and we do hereby declare that there is noting to impair the carrying out of such assigment.

However, this assignment will apply only to the sums that.....(Supplier)...... could not compensate with sums undisputed, liquid and due owing to..... (Supplier).....by..(Buyer)..... Consequently, we do hereby obligate ourselves to you and to the Bank (s) for the account of which you are acting, as an assigned co-obligor, on account of the above described considerations, with the same force and effect as if you were originally the beneficiary of such claims, to make any and all of our payments exclusively to your bank acting for the common interest of the above mentioned banks.

It is understood that, as this assignment ("delegation") is made pursuant to the provisions of Article 1275 of the French Civil Code, no notice of such assignment is to be made to us

Yours faithfully,

Seal and Signature

Annexure III

(See para V. I)

BANK GUARANTEE BOND

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment for the import of ———————————by——— ——————— (hereinafter called the importer) under the terms and conditions of the French Credit and in pursuance of Import Licence No.———— issued on————for Rs.——— in favour of the importer against the above mentioned credit. We————————————Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the domicilliary French Bank within ten days of the receipt of the advice of payment Indian rupee equivalent————of coverted at the composite rate of exchange arrived at on the basis of the formula given in Public Notice issued by the Ministry of Foreign Trade, New Delhi, No. 15-ITC (PN)|72 dated 28-1-72 as amended by Public Notice No. 108-ITC(PN)|72 dated 21-7-72 or as notified from time to time in public notices of the Government of India or A.D. Circulars of the Reserve Bank of India alongwith commission and other charges at 1 per cent ad valorem converted at the above rate for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Head of Account as indicated by the Government of India under the said credit, together with interest thereon at the rate of————per annum for the first thirty days and at———per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the French Supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. We shall arrange the deposit in cash to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi|State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, or where this may not be feasible, by means of a Demand Draft drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (for credit to Central Government Account). The demand draft shall be sent direct to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 alongwith Treasury Challan (duly filled in and signed by remitter), in quadruplicate.

2. We, the ——————————————— Bank, also undertake that the negotiable set of import documents and|or other documents pertaining to the payments to the supplier will be released to the importer only after the rupee deposit contemplated above is effected.

3. We, the ——————————————— Bank, also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may direct, such sums not exceeding Rs.————or any part thereof, for the time being due and payable by the importer together with commission and other charges @ 1 per cent ad valorem and interest thereon at the rate of—— per annum for the first thirty days and at———per annum for the period in excess threof reckoned from the date of payment to the French supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us———— Bank, shall be final and binding on the———— ———Bank.

4. We——————————————— Bank also undertake to remit the banking postal and cable charges payable to the French Bank concerend without affecting the Government of India's account

5. We———— Bank further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in composite rate of exchange or otherwise, the amount of this guarantee bond will be adjusted to this change.

6. We———— Bank, further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement|contract regarding delivery of the equipment and that it shall continue to be enforced till all the dues to the Government under, or by virtue of, this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

7. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the ———— Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amount the payment whereof is intended to be hereby secured and the———— Bank, shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given, to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the———— Bank from its such liability.

8. We———— Bank, lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

9. Our liability under this guarantee is normally restricted to Rs. ————(Plus interest charges not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the———— day* of—— (Month), 19——.

10. Unless claims under this guarantee are made in writing within 1-1|2 years of the above said date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another 1-1|2 years thereafter, i.e. upto———— all rights of the Government of India under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liabitly thereunder.

Dated————day of————
for

Accepted for and on behaf of
the President of India
by Shri

(Name & Designation)

Signature————

*This date shall be arrived at by adding one month to the last date by which all payments to the Suppliers are expected to be made.

Note : 1. The value of the Bank guarantee, vide paras 3 and 9 above should be worked out by adding 1 per cent to the value of the contract at the customs exchange rate prevailing on the date of issue of import licence.

2. The value of the Stamp paper on which guarantee is to be executed is to be adjudictated by the Collector of Stamps in accordance with section 31 of the Stamps Act, 1899.

Annexure IV
(in duplicate
para V. I)

Request for issue of Letter of Instruction

(To be sent in duplicate)

Date

No.

To

The Secretary
Ministry of Finance
Deptt. of Economic Affairs,
EEC Division, North Block,
New Delhi.

(Attention : ————)

Sub :—Import under French Credit

Sir,

In connection with the import ———— (short description of the goods or services) from France under the above credit, we furnish the following particulars and hereby apply for the issue of a Letter of Instruction for an amount of———— (C&F|CIF)

a. Name and Address of importer.

b. Import Licence :

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(iv) Validity period

c. Name and Address of the French Supplier :

d. Date of the Contract|amendmept

OR

Date of Supplier's final acceptance of the order

e. Percentage of goods of non-French origin, if any

f. Value of the contract :

FOB Price : ————————

Less : Indian Agent's commission if any : ————————

Net F.O.B. : ————————

Freight* : ————————

Insurance* : ————————

Total : ————————

*Freight and Insurance costs are to be shown only if eligible for coverage under French Credit (see para VI.4.3 of licensing conditions).

g. (i) Dates of shipment or dates on which services will be performed.

(ii) Value of each shipment or service performed, as stipulated in the contract.

h. Name of the French domicilliary Bank through whom the supplier is to be paid (one of the 15 French Banks listed in Annx. I).

1. The dates on which payments under the contract will fall on.

(i) in respec of down payment (at least 10 per cent of FOB value).

(ii) Other payments.

2. Ten certified copies of the contract|amendment and two copies of the import licence are enclosed.

3.* A bank guarantee furnished by———— name and full postal address of the Indian Bank, authorised to deal in foreign exchange and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps in accordance with Section 31 of the Stamp Act, 1899, is also enclosed. Import documents may be sent to this bank. The guarantee furnished by this bank is dated———— for the value of Rs.————and is valid upto——

3.** The import documents may be sent to the—— (complete name and postal address of the branch of the State Bank of India or its subsidiary or of the branch of any nationalised bank).

*Applicable to importers in private sector.

**Applicable to the Public Sector-Undertaking State and Central State Government.

4. It is hereby agreed that for each payment made to the French supplier rupee deposit as contemplated in he Lticensing condiions will be made into the Government account, through the Bank mentioned in 3 above. It is also agreed that the relevant import documents including the original negotiable shipping documents will be released to us by the above bank only after the Rupee deposit into Government account is effected. We also agree to remit to the domicilliary French Bank's charges (Commission, Postal charges, cable charges etc.) direct to that Bank, through the bank mentioned at 3 above.

5. We undertake to abide by and comply with all provisions of the Licensing Conditions prescribed by the Government pursuant to which this request is made.

6. You are requested to get the contract approved for financing under the French Credit and issue necessary authorisation to the French authorities to arrange for payments to the supplier.

Yours faithfully,

Licensee

*Delete whichever is not applicable

Annexure V

(see para VII.7)

Statement|application to be submitted within one month after the completion of shipments or completion of payments to the supplier, in respect of imports financed under French Credit :

1. Name of the importer

2. Import Licence No.

3.* Bank guarantee (i) Nos.

(ii) Date

(iii) Amount Rs.

(iv) Name of the Guarantor bank

4. Ministry of Finance Letter of Instruction No. & Date

5. Value of Letter of Instruction

6. Total of payments made to supplier

7. Unutilised value of the Letter of Instruction, i.e. 5-6 which amount is hereby certified as not required

8. Amounts claimed by the domicilliary French Bank i.e. bank charges, postal and cable charges etc., which have been remitted to that bank direct.

(i) Date of remittance :

(ii) Amount remitted :

9. Details of payments made to the supplier and corresponding rupee deposits

Payment to supplier		Corresponding rupee deposit		
Date	Amount (foreign currency)	Treasury challan of SBI/RBI	Date	Amount Rs.
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
Total :				

We certify that the information given above is correct as per our records. We also hereby request for closure of the case relating to this Letter of Instruction. The bank guarantee* referred to above may kindly be cancelled and returned to us.

Authorised signature

*Applicable for private sector importer only.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985